

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:— मुसप्र/ 2021/267

दिनांक:— १५/७/२१

कार्यालय आदेश

वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037(iii)/24 दिनांक 08-07-2021 के द्वारा मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं में विकसित भूमि दरों को 30 सितंबर 2021 तक स्थिर कर दी गयी है।

उक्त आदेश को आधार मानते हुए मण्डल में अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए लागत में राहत प्रदान करने हेतु मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं में ई-ऑक्शन/बुधवार नीलामी उत्सव के पश्चात् शेष बचे आवास/फ्लेटों जिनको ई-बिड-सबमिशन में सम्मिलित किया गया है। उन सभी अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों जिनकी लागत वैधता 30-06-2021 तक निर्धारित की गयी थी। उनकी वर्ष 2020-21 में निर्धारित की गयी लागत दरों को कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनगर रखते हुए सभी अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों की लागत वैधता आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन की प्रत्याक्ष में दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक स्थिर की जाती है।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सुचनार्थ :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा० आ० मा०, जयपुर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त—....., रा०आ०म०, (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड—....., रा०आ०म०, (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
10. प्रभारी मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक